

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जवाहर लाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 82/2020 वादपत्र धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट.

- 1- जमनालाल पिता ब्रजलाल ब्राहमण नि. बोहेड़ा मृतक के बजाय -
1/1- शिवनारायण पिता जमनालाल ब्राहमण नि. बोहेड़ा
1/2- परसराम पिता जमनालाल ब्राहमण नि. बोहेड़ा
1/3 -रामेश्वरलाल पिता जमनालाल ब्राहमण नि. बोहेड़ा

- वादीगण

|| बनाम ||

- 1- प्रभूलाल पिता पोखर मृतक के बजाय -
1/1 -भंवरलाल पिता प्रभूलाल ब्राहमण नि. बोहेड़ा
1/2- लहरीबाई पिता प्रभूलाल ब्राहमण नि. बोहेड़ा
1/3- सोसरबाई पिता प्रभूलाल ब्राहमण नि. बोहेड़ा
2- चम्पालाल पिता पोखर ब्राहमण आयु वयस्क नि. बोहेड़ा
3- भगवतीलाल पिता पोखर ब्राहमण आयु वयस्क नि. बोहेड़ा
4- भंवरलाल पिता लखमीचंद ब्राहमण नि. बोहेड़ा
5- जगन्नाथ पिता लखमीचंद ब्राहमण नि. बोहेड़ा मृतक के बजाय-
5/1 - मु. सीता बेवा जगन्नाथ ब्राहमण आयु वयस्क नि. बोहेड़ा
5/2 - श्री लक्ष्मीलाल पिता जगन्नाथ ब्राहमण आयु वयस्क नि. बोहेड़ा
5/3 - श्री करणमल पिता जगन्नाथ ब्राहमण आयु वयस्क नि. बोहेड़ा
6- भागीरथ पिता लखमीचंद ब्राहमण नि. बोहेड़ा
7-तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील डी. के. वैष्णव तथा प्रतिवादीगण की ओर से X पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा बोहेड़ा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- शिवनारायण, परसराम, रामेश्वरलाल पिता जमनालाल ब्राहमण सा. बोहेड़ा

आ. नं.	रकबा	लगान
2497	0.065	- दक्षिणी दिशा
1	0.065	-

- 2- भंवरलाल, लहरीबाई, सोसर बाई पिता प्रभुलाल 1/6 चम्पालाल, भगवती लाल पिता पोखर 2/6 भंवरलाल, भागीरथ पिता लखमीचंद 2/6 लक्ष्मीलाल करणमल पिता जगन्नाथ मु. सीता बेवा जगन्नाथ 1/6 ब्राहमण सा. बोहेड़ा

आ. नं.	रकबा	लगान
2497	0.195	- उत्तरी दिशा
1	0.195	-

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे...X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत...X... को दी जावे। यह आज दिनांक....

23.11.20 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



PTO

जवाहर लाल जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी



मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



जवाहर लाल जैन
आर.ए.एस लेक्टर

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

आपको सूचित है कि आप से प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग करके निम्नलिखित कार्य किया जा रहा है।

विवरण	2019-20	2020-21
आपकी रिपोर्ट	200.0	184.3
	200.0	
आपकी रिपोर्ट	201.0	185.0
	201.0	

आपको सूचित है कि उपरोक्त जानकारी का उपयोग करके निम्नलिखित कार्य किया जा रहा है।

जवाहर लाल जैन
आर.ए.एस लेक्टर
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

